न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 32/2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. प्रकाश पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी गांव सावलसर छोटू तह. नोखड़ा जिला बाडमेर (मैसर्स बजरंग गव्यामृत डेयरी, सदर थाने के सामने वाली गली, शास्त्री नगर बाडमेर का विक्रेता)
2. बुधराज पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी गांव सावलसर छोटू तह. नोखड़ा जिला बाडमेर (मैसर्स बजरंग गव्यामृत डेयरी, सदर थाने के सामने वाली गली, शास्त्री नगर बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स बजरंग गव्यामृत डेयरी, सदर थाने के सामने वाली गली, शास्त्री नगर बाडमेर पर** निरीक्षण दिनांक **21.03.2024** को खाद्य पदार्थ [illegible] पाया कि **10 किलो मूल एक स्टील की कोठी में** रखे हुये थे, को मिलावट [illegible] नियमानुसार 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी–3 अंकित कर इसकी [illegible] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] हेतु प्रपत्र–5(ए) भी [illegible] प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी लूज** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी लूज** का नमूना **अवमानक (Substandard) एवं प्रतिबंधित स्तर का** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/ऐतराज प्रकट नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई पर निवेदन किया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है एवं आगे से इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **03.04.2024** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** एवं **कॉन्ट्राविन रेग्यूलेशन** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर **Foreign fat absent** के मुकाबले **foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है एवं आगे से इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करने का निवेदन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** एवं **कॉन्ट्राविन रेग्यूलेशन** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 तथा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 75,000/- एवं** अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 75,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:05 IST
Reason: SelfAttested